


# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

विवरण पुस्तिका



मॉडल फ्लोरीकल्यर सेन्टर

गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, पन्तनगर—263145  
जिला—उधम सिंह नगर(उत्तराखण्ड)

## **बिन्दु 1 :- संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य**

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के अन्तर्गत मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर की स्थापना फरवरी 5, 2006 को हुयी है। जो कि विश्वविद्यालय पन्तनगर की एक महत्वपूर्ण उद्यान शोध केन्द्र है। इस केन्द्र का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य यह है कि विश्वविद्यालय में आये उद्यान विज्ञान के छात्रों को नयी नयी शोध के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर अपने अनुभवी अधिकारियों एवं मालियों के द्वारा नये-नये पुष्पिय एवं सजावटी पौधों की गूटी, कलम इत्यादि वैज्ञानिक तरिकों के द्वारा उत्पन्न कराता है तथा उत्पन्न किये गये पौधों की बिक्री इत्यादि का कार्य भी करता है।

## **बिन्दु 2 :- अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में एक संयुक्त निदेशक, एक भण्डारक, एक सहायक लेखाकार, एक प्रक्षेत्र परिचर, एक पम्प चालक एवं 11 कृषि श्रमिक कार्यरत है। जिनका कार्य अपने पदनाम के अनुरूप है। जिनका कर्मचारी निर्वहन कर रहे हैं।

## **बिन्दु 3 :- लोकप्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना**

विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम, विनियम, निर्देशिका आदि का अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा पालन किया जाता है। अपने नियम और अनुदेश कुछ भी नहीं होते हैं।

## **बिन्दु 4 :- नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनितिधत्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर इस केन्द्र में आने वाले आगंतुकों को मांगी गयी सूचना के आधार पर परामर्श एवं सलाह दी जाती है।

## **बिन्दु 5 :- दस्तावेजों, जो लोकप्राधिकारी द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं श्रेणियों के अनुसार विवरण**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं वह सीधे कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। जब भी कर्मचारी उसकी सूचना मांगते हैं तो उसकी सूचना तुरन्त कर्मचारियों को दे दी जाती है। ऐसा कोई भी दस्तावेज केन्द्र में नहीं है जिसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

## **बिन्दु 6 :- बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकायें कुछ भी नहीं हैं, जिसमें अनता की भागीतदारी हो, मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में उन्हीं नियमों की पालन किया जाता है जो विश्वविद्यालय प्रशासन एवं निदेशक अनुसंधान केन्द्र के द्वारा जारी किये जाते हैं।

## **बिन्दु 7 :- लोक सूचनाधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ**

तत्कालीन आदेशानुसार मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में लोक सूचना अधिकारी संयुक्त निदेशक, मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर डा० सन्तोष कुमार एवं सहायक लोक सूचनाधिकारी सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार यादव होंगे। जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण प्रयोग करेंगे।

## **बिन्दु 8 :- निर्णय करने की प्रक्रिया (परिवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की स्तर सहित)**

किस कर्मचारी से क्या कार्य लिया जाना है तथा किस स्थान पर किस कर्मचारी की ड्यूटी लगानी है। इसका निर्णय संयुक्त निदेशक, मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर के द्वारा किया जाता है।

## **बिन्दु 9 :- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्पष्ट निर्देशिका बनी हुयी है कि किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है और क्या कार्य लिया जाना है।

## **बिन्दु 10 :- अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति**

इस शोध केन्द्र में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जो प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मिलता है तथा उसमें समय—समय पर जो वृद्धि की जाती है वह नियंत्रक कार्यालय के द्वारा की जाती है। जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया है।

## **बिन्दु 11 :- प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)**

इस शोध केन्द्र को निम्नलिखित पदों में धन का आवंटन नियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है। जैसे मजदूरी व्यय, मरम्मत एवं रखरखाव व्यय, कार्यालय व्यय, ईधन एवं अनुरक्षण व्यय, मैटिरियल सप्लाई व्यय, यात्रा व्यय, अनावर्तक व्यय, इत्यादि जिसमें प्रतिवर्ष फेरबदल होती रहती है।

## **बिन्दु 12 :- अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।**

मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर विश्वविद्यालय द्वारा पोषित केन्द्र है। इसको न तो कहीं से अनुदान मिलता है और न ही राज्य सरकार द्वारा अलग से धनराशि आवंटित की जाती है।

## **बिन्दु 13 :- रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।**

बिन्दु 13 के विषय में उल्लेख किया जाता है। इस शोध केन्द्र की सूचना शून्य है।

## **बिन्दु 14 :- कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम**

यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के अनुरूप मानक स्थापित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई फेरबदल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसमें समस्त कर्मचारियों से विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्य लिया जाता है।

## **बिन्दु 15 :- किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे**

इस शोध केन्द्र में इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है।

## **बिन्दु 16 :- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण , किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लाक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण**

इस शोध केन्द्र में जो भी नागरिक जो भी सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे समय—समय पर सूचना देकर लाभान्वित किया जाता है। जिसके लिये इस शोध केन्द्र के पास पुस्तकालय एवं वाचनालय उपलब्ध नहीं है।

## **बिन्दु 17 :- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये**

इस शोध केन्द्र के अधिकारियों द्वारा लोगों के द्वारा मांगी गयी सूचना को समय—समय पर पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया जाता रहा है।